

मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास  
(रु.150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम  
प्रयागराज / झाँसी क्षेत्र



तेन्दू पत्ता की खुले सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिक्री हेतु  
बिक्री सूची तथा नीलाम एवं बिक्री की सामान्य शर्तें

• • • • •

नीलाम की तिथि व समय

दिनांक 18.03.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से

विक्रय प्रभाग—जिसकी लाटों का नीलाम होगा—  
दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी

• • • • •

नीलाम स्थल

केशरी लान, प्रथम तल, दानियालपुर, पाण्डेयपुर,  
पंचक्रोशी मार्ग,  
निकट बाबा विश्वनाथ स्वीट हाउस,  
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

• • • • •

तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु विक्रय सूची, नीलाम सूचना एव नीलाम द्वारा बिक्री की शर्तें

1. वर्ष-2018 सीजन की तेन्दू पत्ता की अवशेष व पूर्व की अन्य अवशेष लाटों की लाटवार विक्रय सूची
2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु नीलाम सूचना -नीलाम तिथि 18.03.2019
3. नीलाम द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट सं०	इकाई	भण्डारित मात्रा		भण्डारित गोदाम का नाम
			वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6
1	र- 11 / 18	केवाल	2191	1907.400	महेन्द्र प्रताप जायसवाल गोदाम, बिन्दमगंज
2	र- 26 / 18	गोइठा (बैरखड़)	268	213.900	भागीरथी गोदाम, हीराचक
3	र- 49 / 18	मचबन्धवा-ब	884	804.590	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
4	र- 56 / 18	बैना	919	891.800	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
5	र- 57 / 18	देवरी	222	177.550	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
6	र- 58 / 18	जामपानी	554	517.825	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
7	र- 60 / 18	वियहवा	1287	977.730	अन्जु जायसवाल गोदाम, दुद्धी
8	र- 62 / 18	मजीठ-अ	571	485.782	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
9	र- 63 / 18	मजीठ-ब	601	533.683	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
10	र- 64 / 18	महुली-अ	1605	1369.847	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
11	र- 65 / 18	महुली-ब	2121	1811.098	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
12	र- 66 / 18	महुली-ब	1764	1628.663	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
13	र- 68 / 18	जरहा पू० ब	716	651.265	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
14	र- 69 / 18	महुलाइनसोत	1483	1172.364	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
15	र- 72 / 18	बेलहत्थी / रानीताली	921	752.467	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
16	र- 94 / 18	जरहा प० अ / जरहा प० ब	1225	1026.904	अशोक शुक्ला गोदाम, दुद्धी
17	र- 107 / 18	अमरसोता	1563	1185.300	परसोई गोदाम, परसोई
18	र- 110 / 18	बेलगढी	945	810.305	परसोई गोदाम, परसोई
19	र- 116 / 18	अगोरी	1113	844.164	जुगैल द्वितीय गोदाम
	<b>19 लाटे</b>	<b>योग</b>	<b>20953</b>	<b>17762.637</b>	

**सामान्य ग्रेड की लाट, वर्ष-2017 सीजन की अवशेष लाट**

1	र-38 / 17	गुलालझरिया	22	18.642	प्रिया दूवे गोदाम, दुद्धी
	<b>01 लाट</b>	<b>योग</b>	<b>22</b>	<b>18.642</b>	
	<b>20 लाटें</b>	<b>कुल योग</b>	<b>20975</b>	<b>17781.279</b>	

**मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर**

वर्ष- 2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम	भण्डारित मात्रा		भण्डारित गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	म-01 / 18	सिलहट / देवरी	667	516.390	चुर्क, सोनभद्र
2	म-02 / 18	सुअर सोत	561	458.525	चुर्क, सोनभद्र
3	म-03 / 18	दरेव	1241	988.550	चुर्क, सोनभद्र
4	म-04 / 18	मझुई	671	498.340	चुर्क, सोनभद्र
5	म-05 / 18	मांची	512	399.310	चुर्क, सोनभद्र
6	म-09 / 18	चिरुई	1447	1122.625	चुर्क, सोनभद्र
7	म-10 / 18	मऊ ।	800	659.038	चुर्क, सोनभद्र
8	म-11 / 18	मऊ ।।	797	656.567	चुर्क, सोनभद्र
9	म-12 / 18	पटना	580	451.780	चुर्क, सोनभद्र
10	म-13 / 18	रामपुर	809	618.605	चुर्क, सोनभद्र
11	म-15 / 18	खोराडीह / राजगढ़	110	106.220	चुर्क, सोनभद्र
12	म-23 / 18	सोनगढ़ा	641	634.400	चकवाल, मिर्जापुर
13	म-24 / 18	कर्ी अ	431	389.702	चकवाल, मिर्जापुर
14	म-29 / 18	अतरैला	32	26.000	चकवाल, मिर्जापुर
	<b>14 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>9299</b>	<b>7526.052</b>	

**वर्ष 2017 सीजन की सी-1 स्टाक की लाटें**

1	24 / 17-18	सी-1 स्टाक	100	0.000	मांची रेन्ज परिसर
2	25 / 17-18	सी-1 स्टाक	25	0.000	मांची रेन्ज परिसर
3	26 / 17-18	सी-1 स्टाक	24	0.000	मांची रेन्ज परिसर
	<b>3 लाटे</b>	<b>योग</b>	<b>149</b>	<b>0.000</b>	

**वर्ष 2018 सीजन की सी-1 स्टाक की लाटें**

1	34 / 18-19	सी-1 स्टाक	10	7.600	लालगंज रेन्ज परिसर
	<b>1 लाटे</b>	<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>7.600</b>	
	<b>18 लाटें</b>	<b>कुल योग</b>	<b>9458</b>	<b>7533.652</b>	

वाराणसी लौगिंग प्रभाग, वाराणसी

वर्ष- 2018 तेन्दू पत्ता सीजन  
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम	भण्डारित मात्रा		भण्डारित गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	व-01 / 18	शिकारगंज	1154	1149.220	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
2	व-05 / 18	लेहड़ा	986	852.755	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
3	व-06 / 18	छीतमपुर	460	453.380	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
4	व-08 / 18	नौगढ़ ब	674	540.775	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
5	व-09 / 18	औरवाटाड़	931	755.415	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
6	व-10 / 18	अमदहा	901	707.131	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
7	व-14 / 18	गंगापुर	235	175.875	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
8	व-15 / 18	हरदहवा	166	132.400	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
9	व-17 / 18	भैसोड़ा	189	144.065	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
10	व-19 / 18	उ०पण्डी / द०पण्डी	99	77.500	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
11	व-20 / 18	चिकनी	192	150.100	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
12	व-21 / 18	पढ़ौती	107	79.340	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
	<b>12 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>6094</b>	<b>5217.956</b>	
	<b>50 लाटें</b>	<b>कुल योग प्रयागराज क्षेत्र</b>	<b>36527</b>	<b>30532.887</b>	

## कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं 0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	क-2 / 18	भेडाछेरिहा	146	109.025	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
2	क-3 / 18	चूल्ही	125	81.060	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
3	क-5 / 18	गढचपा अ	429	317.730	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
4	क-8 / 18	बगरेही	1078	762.820	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
5	क-9 / 18	भौरी	313	225.750	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
6	क-10 / 18	इटवा	1616	1308.813	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
7	क-11 / 18	माराचन्द्रा	981	729.270	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
8	क-12 / 18	बहिलपुरवा	105	81.175	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	क-13 / 18	सिमरदहा ।	1084	797.707	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	क-14 / 18	सिमरदहा ॥	1020	758.880	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
11	क-15 / 18	सरहट ब	1069	774.460	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
12	क-18 / 18	रिहुटिया	1017	695.682	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
13	क-19 / 18	बबुरी ।	1216	1014.144	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
14	क-20 / 18	बबुरी ॥	943	787.275	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
15	क-21 / 18	गढवा ।	925	723.079	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
16	क-22 / 18	गढवा ॥	922	725.200	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
17	क-25 / 18	वरियारी कला	1234	959.290	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
18	क-26 / 18	मनका छतैनी / कटैया डाडी	631	508.145	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
19	क-27 / 18	कलछिया / गुईया कला	752	617.190	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
20	क-28 / 18	अगरहुण्डा	1490	1138.360	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
21	क-29 / 18	गढचपा (ब)	1043	712.470	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
22	क-30 / 18	इटवा ।	840	677.040	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
23	क-31 / 18	इटवा ॥	765	616.987	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
24	क-32 / 18	देशाह	589	447.770	टी०पी० गुप्ता गोदाम मानिकपुर
25	क-34 / 18	मडैयन अ ॥	1091	752.365	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
26	क-35 / 18	मडैयन ब ।	1150	799.350	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
27	क-36 / 18	मडैयन ब ॥	995	704.821	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा

28	क-37 / 18	मडैयन स	1393	932.795	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
29	क-38 / 18	ददरी ।	1124	788.917	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
30	क-39 / 18	ददरी ॥	1281	954.125	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
31	क-41 / 18	रुकमा खुर्द	713	518.375	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
32	क-43 / 18	खम्हरिया अ।	1834	1312.753	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
33	क-44 / 18	खम्हरिया अ॥	1528	1135.877	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
34	क-45 / 18	खम्हरिया ब	960	646.815	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
35	क-46 / 18	दुगवां	1431	1074.592	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
36	क-50 / 18	पथरा छतैनी	386	263.935	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
37	क-52 / 18	कुलपहाड / जिगनी / बघौरा / महुआवांध / सालट	379	330.085	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
	<b>37 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>34598</b>	<b>25784.127</b>	

### वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०सं 0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	क-53 / 18	रामनगर सेक्शन	13	11.500	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
2	क-54 / 18	कर्वी / रामनगर / बर गढ	41	32.662	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	क-55 / 18	खम्हरिया अ / दुगवां	44	35.000	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
	<b>3 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>98</b>	<b>79.162</b>	
	<b>40 लाटें</b>	<b>कुल योग</b>	<b>34696</b>	<b>25863.289</b>	

## ललितपुर लौगिंग प्रभाग, ललितपुर

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं 0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	ल-1 / 18	सोल्दा	1218	1050.575	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
2	ल-2 / 18	धौरीसागर	650	615.380	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
3	ल-3 / 18	गौठरा	278	244.660	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
4	ल-4 / 18	पिसनारी	1019	916.190	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
5	ल-7 / 18	दिदौनिया	508	494.705	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
6	ल-8 / 18	सौरई	1285	1182.275	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
7	ल-9 / 18	बम्होरी खुर्द	502	468.780	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
8	ल-10 / 18	गिरार / गिदवाहा	547	523.675	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
9	ल-11 / 18	गौना	900	702.245	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
10	ल-12 / 18	दौलतपुर	653	519.460	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
11	ल-13 / 18	नाराहट	1043	889.120	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
12	ल-14 / 18	पारौल	1313	1058.985	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
13	ल-15 / 18	पारौल	907	721.805	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
14	ल-17 / 18	पठराई	1024	820.125	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
15	ल-18 / 18	कनपुरा	1241	1046.610	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
16	ल-21 / 18	सेपुरा	749	673.600	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
17	ल-28 / 18	जाखलौन	20	18.650	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
	<b>17 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>13857</b>	<b>11946.840</b>	

### वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०सं 0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	ल-27 / 18	मडावरा / जाखलौन / गौना सेक्शन	43	38.300	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
	<b>1 लाट</b>	<b>योग</b>	<b>43</b>	<b>38.300</b>	

सी-1 स्टाक की लाटें

क्र०सं 0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	ल-29 / 18	सी-1	25	5.500	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
	1 लाट	योग	25	5.500	
	19 लाटें	कुल योग	13925	11990.640	
	59 लाटें	कुल योग झाँसी क्षेत्र	48621	37853.929	
	109 लाटें	कुल योग प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र	85148	68386.816	



कार्यालय— क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक— 5573

/ते0प0/बिक्री/2018

/दिनांक 26.02.2019

सेवा में,

मे0 एडोर,

एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0,

रामानन्द नगर, अल्लापुर—प्रयागराज।

विषय— तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 01.03.2019 को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया प्रकाशित समाचार पत्र की एक-एक प्रति पुष्टि हेतु तुरन्त इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें—

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, लखनऊ, वाराणसी, एवं कानपुर संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं भोपाल।
4. अमर उजाला, मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।

उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष एवं फैक्स — +91532-2427536



**तेन्दू पत्ता विक्री हेतु खुली-सार्वजनिक नीलामी सूचना—नीलाम तिथि 12.03.2019 एवं 18.03.2019**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 सीजन की अवशेष व पूर्व वर्षों एवं अन्य अवशेष तेन्दूपत्ता की विक्री खुले-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वाराणसी, दुद्धी एवं झाँसी विक्रय प्रभाग की लाटों का नीलाम दिनांक 12.03.2019 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से नीलाम की समाप्ति तक कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, 1075 बी, स्टेशन रोड, सिविल लाइन्स, झाँसी में किया जायेगा।

दिनांक 12.03.2019 के नीलाम के उपरान्त जो लाटें बिक्री हेतु अवशेष रह जायेगी, वाराणसी, दुद्धी एवं झाँसी विक्रय प्रभाग की ऐसी समस्त लाटों का नीलाम दिनांक 18.03.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से नीलाम समाप्ति तक केशरी लान, प्रथम तल, दानियालपुर, पाण्डेयपुर, पंचक्रोशी मार्ग, निकट बाबा विश्वनाथ स्वीट हाउस, वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) में किया जायेगा।

उक्त नीलाम से सम्बन्धित विक्री सूची व विक्री शर्तें क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, झाँसी क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी के कार्यालय से क्रमशः दिनांक 05.03.2019 एवं 14.03.2019 से कार्यालय अवधि में निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। विक्री सूची व विक्री शर्तें दिनांक 05.03.2019 एवं 14.03.2019 से उ0 प्र0 वन निगम की वेबसाईट [www.upforestcorporation.co.in](http://www.upforestcorporation.co.in) पर भी उपलब्ध रहेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय,

(एस0 एन0 सिंह)

मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक- 5573 /ते0प0/बिक्री/2018/उक्तदिनांकित 26.02.2019।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
4. महाप्रबन्धक (विपणन/उत्पादन/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज ।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, झाँसी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ ।
7. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फुलेनगर ।
8. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र ।
9. वेबसाईट, उत्तर प्रदेश वन निगम ।
10. तेन्दू पत्ता क्रेता गण को डाक से ।
11. कार्यालय सूचना पट ।

(एस0 एन0 सिंह)  
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय प्रबन्धक



## उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की खुले नीलाम द्वारा बिक्री हेतु शर्तें

1. **नीलाम परिसर में प्रवेश**—नीलाम परिसर में प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति (आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को रू0 10000 /—(दस हजार रूपये मात्र) गेटमनी के रूप में नीलाम स्थल पर उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। गेटमनी नीलाम स्थल पर नीलाम के दिन प्रातः 9.00 बजे से जमा की जायेगी। असफल क्रेताओं को उक्त धनराशि नीलाम की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी तथा सफल क्रेताओं के मामले में यह धनराशि जमानत के रूप में समायोजित कर दी जायेगी। परन्तु नीलाम में किसी प्रकार का व्यवधान तथा गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ गेटमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. **नीलाम के दौरान सद्व्यवहार**— नीलाम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तथा बोली देने वाले नीलाम के दौरान सद्व्यवहार करेंगे। यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होगा जिससे नीलाम में कोई बाधा पड़े तो नीलामकर्ता अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को नीलाम से बाहर निकाल/निकलवा दें और ऐसे व्यक्तियों की बोली स्वीकार न करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा। यदि नीलाम करने वाले अधिकारी को विश्वास हो जाय कि किसी व्यक्ति ने नीलाम में गड़बड़ी या अड़चन पैदा की तो उनकी गेटमनी जब्त कर ली जायेगी तथा उसको अवाँछित घोषित कर दिया जायेगा।
3. **नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने का निषेध**— नीलाम परिसर में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 4— **पत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत बिक्री —**
  - (अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है —
    1. **सामान्य ग्रेड (ए):**— ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।
    2. **वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):**— वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला /काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड का पत्ता गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी का पत्ता इकाईवार/सेक्सनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, लाट की बिक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेता बोली देने से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का ऑकलन स्वयं करके बोली दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।
  - (ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की बिक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरों की पल्टाई, तौल एवं जाँच

आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में बिक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो, वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम दस (10) दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

5— **छँटाई का प्रतिबन्ध**— लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छोटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार होगी।

6— **तेन्दूपत्ता नीलाम की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें** नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर कार्यालय अवधि से प्राप्त किया जा सकता है। बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तें नीलाम सूचना में सूचित दिनांक से वन निगम की वेबसाइट [www.upforestcorporation.co.in](http://www.upforestcorporation.co.in) पर उपलब्ध होंगी।

7— **लाटवार बोली एवं दर**— नीलाम में विक्रय सूची के अनुसार लाटवार बोली ली जायेगी एवं दर रूपया—पैसा प्रति कि०ग्रा० में ली जायेगी।

8— **बिना कारण बताये किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार**— लाटों का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर किया जायेगा परन्तु उत्तर प्रदेश वन निगम उच्चतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निगम को यह अधिकार होगा कि वह उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

9— **लाट का अनुमोदन**— नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर लाटों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

10— **जमानत**— लाट की बोली समाप्त होते ही हथौड़ा गिरने पर उच्चतम बोली तथा द्वितीय उच्चतम बोली देने वाले व्यक्तियों को तुरन्त ही बिडलिस्ट पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उच्चतम बोलीदाता को लाट के कुल अनुमानित विक्रय मूल्य (शत प्रतिशत भण्डारण वजन या ऐसा न होने पर 30 कि०ग्रा० प्रति वास्तविक बोरा वजन मानते हुए) का पन्द्रह प्रतिशत (परन्तु वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत) धनराशि बतौर जमानत के रूप में तुरन्त जमा करना होगा। **देय जमानत की धनराशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/दुद्धी/झाँसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा। देय जमानत जमा न करने पर लाट की पुनः बिक्री कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित बोलीदाता की गेटमनी जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अधीन कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।**

11— **नीलाम स्वीकृति की सूचना**— नीलाम अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को सामान्यतया सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्रवाहक

द्वारा क्रेता के बिडलिस्ट में दिये गये पते पर नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल बोलीदाताओं को नीलाम की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो, उन्हें चाहिए कि वे सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय से संपर्क कर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो, स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी। परन्तु किन्हीं कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो, ऐसी परिस्थिति में चालीस (40) दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश वन निगम का पत्र उसे (बोलीदाता को) प्राप्त समझा जायेगा। सम्बन्धित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर नीलाम स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। नीलाम परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट [www.upforestcorporation.co.in](http://www.upforestcorporation.co.in) पर भी उपलब्ध होगी।

12. सफल क्रेता द्वारा बिडलिस्ट में दिये गये पते पर पंजीकृत पत्र/पत्रवाहक द्वारा भेजी गई उत्तर प्रदेश वन निगम की चिट्ठियाँ उसे प्राप्त हुई समझी जायेगी। यदि क्रेता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहें तो ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख बिडलिस्ट में करना होगा। उक्त पते पर भी भेजी गई सभी पंजीकृत चिट्ठियाँ क्रेता को प्राप्त हुई समझी जायेगी।

13. **अनुबन्ध—** सफल क्रेता को लाट की स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना प्राप्त के 07 दिन में तथा पंजीकृत पत्र द्वारा लाट की स्वीकृति सूचना भेजने पर पंजीकृत पत्र भेजने की तिथि के 10 दिन के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाटों का अनुबन्ध सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक यह कार्यवाही न करने पर लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा जमानत धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी, जिसकी कोई सूचना बोलीदाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा तथा लाट की पुनः बिक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या अविभाजित हिन्दू परिवार (कुटुम्ब) की ओर से बोली देने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख, जिसमें उसे यह प्राधिकार/शक्ति (अॅथारिटी) दी गयी हो, मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी बिक्री को निरस्त करके जमा बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है। बोलीदाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु सम्बन्धित तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुबन्ध के समय देना अनिवार्य होगा तथा अपना नाम, पिता का नाम, अपना हस्ताक्षर एवं अपनी फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भी देना होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो, ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा दस प्रतिशत (10%) अतिरिक्त जमानत

तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपये पाँच हजार (रु. 5,000/-) मात्र जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। **उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।**

**(द)** यदि किसी क्रेता ने एक ही प्रभाग की कई लाटें एक साथ क्रय की हों तथा वह इन लाटों की जमानत व किश्तों का निर्धारण एक साथ कराना चाहता हो तथा संयुक्त रूप से सभी लाटों के लिये एक अनुबन्ध करना चाहता हो तो, क्रेता के लिखित आवेदन पत्र पर ऐसा अनुबन्ध प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में उस अनुबन्ध की समस्त लाटों की कुल जमानत धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जायेगा।

**14- विक्रय मूल्य/किश्त का भुगतान, माल की निकासी तथा निकासी की मात्रा –** देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता की निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

**(अ) विक्रय मूल्य का भुगतान –** अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी –

**1. जून/जुलाई के नीलाम की लाटों के लिये–**

(i) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों के लिये – रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटो लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार (4) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41 वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त इक्तालीसवें (41 वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

(ii) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के लिये – रेनूकूट लौगिंग प्रभाग के अन्तर्गत परसोई तथा जुगैल स्थित गोदामों में भण्डारित सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता लाटों का अनुमानित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार तीन बराबर किश्तों में जमा करना होगा।

पहली किश्त– अन्य लाटों की भाँति स्वीकृति की तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन।

दूसरी किश्त– स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन।

तीसरी अन्तिम किश्त– स्वीकृति की तिथि के एक सौ इकतीसवें (131वें) दिन। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के लिये पहली किश्त स्वीकृति तिथि के इक्तालीसवें (41वें) दिन एवं दूसरी किश्त स्वीकृति की तिथि के एक सौ एकवें (101वें) दिन देय होगी।

**2. अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर के नीलाम की लाटों के लिये–**

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन (3) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में

करना होगा। पहली किश्त इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

**3. नवम्बर/दिसम्बर एवं पश्चात्वर्ती नीलाम की लाटों के लिये—**

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। पहली किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किश्त में करना होगा।

नोट:— यदि अन्तिम किश्त जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद क्रेता को निकासी दी जायेगी। अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक की धनराशि को, अन्तिम किश्त जमा करने के तीस (30) दिनों के अन्दर, परन्तु निकासी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो, किश्तों की धनराशि वास्तविक विक्रय मूल्य की सीमा तक क्रेता को जमा करनी होगी। ऐसी स्थिति में भी अन्तिम देय किश्त की देय तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर सम्पूर्ण निकासी क्रेता को लेनी होगी। यदि क्रेता अधिक धनराशि जमा कर देता है तो, उसे क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर वापस किया जायेगा।

**4.(अ)** यदि क्रेता द्वारा कय की गई लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत (1%) की छूट दी जायेगी।

**(ब)** किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है, तो इसके विरुद्ध निकासी अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है अन्यथा, अगली किश्त की देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही निकासी दी जा सकेगी।

अन्तिम देय किश्त की तिथि से साठ (60) दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य तीस (30) दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

**(स)** यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो, उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि, उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप ही निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व करनी आवश्यक होगी।

**(द)** क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रूपये प्रति दिन की दर से प्लॉट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

**(य) शून्य काल—** यदि वन निगम किन्ही कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम साठ (60) दिनों तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो, जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ

रहा, उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा, उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी। परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

**15- समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना तथा पुनः बिक्री पर हानि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली -**

(अ) यदि शर्त संख्या-14 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि पर कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो, किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात (07) दिनों के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो, उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रूपये एक सौ (रु. 100/-) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करके धन प्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उपर्युक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा छः (06) पैसे प्रति सौ रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम तीस (30) दिनों की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले तीस (30) दिनों तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम लखनऊ को होगा।

(ब) शर्त सं0-15 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो, लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त सं0-15 ब के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो, बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर पूर्व क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन अन्य लाटों के विरुद्ध निगम में उक्त पूर्व क्रेता की जमा वापसी योग्य धनराशि से किया जायेगा।



(द) यदि शर्त संख्या- 15 स में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, आर्थिक हानि की अवशेष धनराशि की वसूली पूर्व क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

16- **निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया** - यदि कोई क्रेता निर्धारित समय के अनुसार लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त -14 ब के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो, रुपये दो (रू. 2/-) मात्र प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि वृद्धि सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकती है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। पूरी किश्त की धनराशि जमा होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अगले तीस (30) दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार आगामी 15 मई तक के लिये महाप्रबन्धक, (तेन्दू पत्ता) को होगा। तत्पश्चात् लाट की बिक्री निरस्त कर जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त किया जायेगा।

क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो, उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

17- **विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को कम करने का अधिकार** - शर्त संख्या-15 एवं 16 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।

18- **जमानत का समायोजन** - जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो, लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।

19- **निकासी का परिमाण एवं समय** - क्रेता को तेन्दू पत्ता बोरो की निकासी प्रत्येक बोरे को तौल कर की जायेगी एवं माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

20- **बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि का भुगतान** - विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम बने बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थान (दुद्धी को छोड़कर) पर देय होगी, द्वारा करना होगा। मूल्य के भुगतान की प्राप्ति रसीद वन निगम की रसीद पर संबंधित गोदाम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई वैध मानी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम रुपये एक हजार तक की धनराशि नकद ली जा सकती है। दुद्धी विक्रय प्रभाग की लाटों के लिये बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

21- **संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना** - यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किश्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किश्तों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर

दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के सम्बन्ध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवाना सुनिश्चित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किश्त, ऐसे हस्तान्तरण किये जाने के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

## 22— कर भार —

(अ) **आयकर** — भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) **मण्डी शुल्क एवं अन्य देय कर** — शर्त सं० 22 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में दो दशमलव पाँच प्रतिशत (2.5%) अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थिति हो, की दर से देय होगी, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो, उसकी भी वसूली सम्बन्धित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम/नियमावली के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली क्रेता से की जायेगी।

23— **नियमों का पालन** — यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (यथा अद्यतन संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम, 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त समस्त अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत नियमावलियों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।

24— **विविध** — उपरोक्त शर्त संख्या 4, पत्तों के ग्रेड से सम्बन्धित शिकायत के अलावा यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जाँच हेतु आवेदन किया जाता है तो, ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जाँच के लिये रूपये पाँच (रु. 5/-) प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय जी०एस०टी० अतिरिक्त सहित क्रेता को अग्रिम रूप से धनराशि जमा करना होगा। यह धनराशि सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो, के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जाँच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो, उस स्थिति में ऐसे निर्णय के पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा, परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं

- जाँच प्रक्रिया से किश्त जमा करने की तिथियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 25— **न्यायिक वाद का क्षेत्राधिकार** — इस तेन्दू पत्ता बिक्री से सम्बन्धित किसी भी लाट के सम्बन्ध में न्यायिक वाद, केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।
- 26— **तेन्दू पत्ता नीलाम सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट [www.upforestcorporation.co.in](http://www.upforestcorporation.co.in) पर भी उपलब्ध होगी।**
- 27— किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि, सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो, उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 28— **अधिवक्ता द्वारा ठेकेदारी में प्रतिभाग न किया जाना** — राज्य विधिक परिषद (स्टेट बार कौंसिल) में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो, उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे।
- यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायगा।
- 29— **मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन)** — शर्तों के पालन सम्बन्धी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम